19.09.2023

पत्रावली पेश। पुकारा गया।

अभियुक्तगण लाल सिंह दीवान व गोकुल सिंह परिहार मय विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद भट्ट न्यायालय में उपस्थित हैं। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री पी0सी0 टम्टा उपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त वाद में तीन अभियुक्तगण के विरूद्ध विचारण की कार्यवाही गतिमान है, जिसमें अभियुक्तगण लाल सिंह दीवान, गोकुल सिंह एवं नवीन परिहार हैं। अभियुक्त नवीन परिहार के संदर्भ में यह विदित होता है कि वह कैंसर से पीड़ित है तथा उसकी कीमोथेरेपी चल रही है।

उपरोक्त वाद के संदर्भ में यह तथ्य विदित होता है कि पत्रावली अभियुक्त के बयान धारा 313 दं0प्र0सं0 हेतु काफी समय से लंबित चली आ रही है। अभियुक्त नवीन परिहार के न्यायालय में उपस्थित न होने पर उसकी न्यायालय में उपस्थिति बावत तिथि स्थगन प्रार्थना पत्र कई बार स्वीकार की गई है। अन्य अभियुक्तगण लाल सिंह दीवान व गोकुल सिंह के बयान धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनॉक 28.08.2023 को अंकित किये जा चुके हैं।

चूँकि आज भी पत्रावली अभियुक्त नवीन परिहार के बयान् धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किये जाने हेतु नियत थी। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया है कि अभियुक्त एम्स में भर्ती है जिस कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका।

उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायालय का यह मत है कि अभियुक्त नवीन परिहार के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण लाल सिंह दीवान व गोकुल सिंह परिहार की पत्रावली में अनावश्यक रूप से विलम्ब कारित हो रहा है, अतएव ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त नवीन परिहार की पत्रावली इस पत्रावली से पृथक किया जाना उचित होगा।

तद्नुसार उपरोक्त निष्कर्ष के संदर्भ में सत्र लिपिक को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त पत्रावली में से अभियुक्त नवीन परिहार की पत्रावली पृथक कर उससे सम्बन्धित प्रपत्रों को उस पत्रावली में लगाये जाय तथा शेष अभियुक्तगण लाल सिंह दीवान व गोकुल सिंह परिहार की पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। पत्रावली लंच बाद पेश हो।

(आर0 के0 खुल्बे),
विशेष सत्र न्यायाधीश, बागेश्वर।

लंच बाद

पत्रावली पेश। अभियुक्तगण लाल सिंह दीवान व गोकुल सिंह परिहार मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री पी0सी0 टम्टा उपस्थित।

चूँकि उपरोक्त पत्रावली में अभियुक्तगण के बयान् धारा 313 दं0प्र0सं0 हो चुके हैं और अभियुक्तगण द्वारा बचाव में कोई साक्ष्य पेश न किये जाने का कथन किया गया है। अतएव ऐसी परिस्थितियों में उभय पक्षों को सुना जाना आवश्यक है, जिससे वाद का निस्तारण हो सके।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय दिनॉक **21.09.2023** को पेश हो।

(आर0 के0 खुल्बे),
विशेष सत्र न्यायाधीश, बागेश्वर।